

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
सं0-6/निदे0-TRI उद्व्यय-10-02/2024-

289

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0

निदेशक

सेवा में,

निदेशक

बिहार अनुसूचित जनजाति

शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक- 19.01.2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत Support to Tribal Research Institutes (TRIs) के लिए ₹50.07 लाख (पचास लाख सात हजार रु0) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11031/19/2024-TRI (E. No. 28592) दिनांक-29.08.2025 के द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में स्वीकृत क्रियाकलाप/गतिविधियों के लिए GIA-General के अंतर्गत कुल-₹50.07 लाख (पचास लाख सात हजार रु0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2-उक्त राशि की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-9089 दिनांक-17.12.2025 द्वारा दी गई है।

3-वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं0-44 के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0219-बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य)-3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन-विपत्र कोड-44-2225.02.277.0219 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

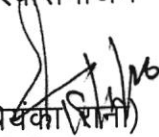
4-वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.4.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5-इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

6-प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/निदे0-TRI उद्व्यय-10-02/2024 के पृ0-...../टि0 पर प्राप्त है।

7-वित्त विभाग के पत्र संख्या-5292 दिनांक-09.05.2025 के आलोक में स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन एवं व्यय की कार्रवाई CFMS 2.0 के SNA SPARSH Module के माध्यम से किया जाएगा।
अनु०-यथो०।

विकासभाजन


(प्रियंका शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक-6/निदे०-TRI उद्व्यय-10-02/2024- 289 पटना, दिनांक-19.01.2026
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन, पटना/सभी जिला
कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक-6/निदे०-TRI उद्व्यय-10-02/2024- 289 पटना, दिनांक-19.01.2026
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/अपर सचिव,
अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनु०
जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
पटना/उप निदेशक, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना/प्रभारी
पदा०, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा
पदा०-8डी०/सांख्यिकी शाखा/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक